भैंस मूत्र गौमूत्र से ज्यादा पवित्र

हिन्दुत्व के आइकन योगी आदित्यनाथ के राज में उत्तर प्रदेश स्थित भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान ने गोमूत्र को मानव शरीर के लिए हानिकारक बताया है। गाय के बजाय भैंस के मूत्र को ज्यादा बेहतर पाया गया है।

संस्थान के भोजराज सिंह के नेतृत्व में तीन हिंदू छात्रों के शोध में पाया गया कि गोमूत्र में 14 तरह के हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं जो पेट में संक्रमण फैला सकते हैं। अब विज्ञान ने फिर आस्था पर चोट की है। संस्थान सरकारी है, राज परम हिंदूवादी डबल इंजन सरकार का है, रिसर्च करने वाले हिंदू हैं। अब क्या करें? संस्थान बंद कर देना चाहिए? आस्था पर चोट पहुंचाने पर बुल्डोजर चला देना चाहिए? गाय पर ऐसी रिसर्च करने वालों पर एनएसए लगा देना चाहिए और ऐसी रिसर्च पर पाबंदी लगा देना चाहिए?

क्या भक्तों की माता गौमाता की जगह भैंस को प्रतिस्थापित करने के प्रयासों की निन्दा करनी चाहिए? या वैज्ञानिक सत्य का सम्मान करना चाहिए?

वार्ड नं. 13 करनाल के नगर निगम

पार्षद ईश गुलाटी

की ओर से नगर वासियों को बैसाखी की शुभकामनाएं

नगर वासियों को बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं

RAKESH NAGPAL

Ex-Chairman Improvement Trust Karnal

मोदी हटाओ देश बचाओ अभियान से घबराई खट्टर सरकार

करनाल (मजदूर मोर्चा) मोदी हटाओ-देश बचाओ-संविधान बचाओ अभियान के तहत जिला सचिवालय में पोस्टर लगाने पहुंचे सैंकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इस सरकार को तानाशाह सरकार बताया। कांग्रेस के करनाल जिला संयोजक त्रिलोचन सिंह की अगुवाई में कार्यकर्ता सुबह से ही जिला सचिवालय के सामने एकत्रित होना शुरू हो गए थे।

दोपहर होते-होते बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए और जिला सचिवालय की ओर हाथों में पोस्टर लेकर चलने लगे। पुलिस ने जिला सचिवालय के गेट को बंद कर दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी गुस्सा देखने को मिला। इस दौरान जिला संयोजक त्रिलोचन सिंह सहित कई अन्य नेताओं ने जिला सचिवालय के गेट पर मोदी हटाओ सरकार बचाओ संविधान बचाओ के पोस्टर लगा दिए। पुलिस ने इन पोस्टरों को फाड़ दिया और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी शुरू कर दी।

पुलिस की तीन बसों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर पुलिस लाइन ले जाया गया। यहां भी कार्यकर्ता सरकार के प्रति अपना रोष प्रकट करते हुए नारे लगाते रहे। शाम को कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जमानत पर रिहा कर दिया गया। इस मामले में नौ मई को अगली सुनवाई होगी।

पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं में करनाल प्रभारी एवं पूर्व विधायक लहरी सिंह, कार्यक्रम आयोजक त्रिलोचन सिंह, कांग्रेस नेता रघबीर संधु,

पीसीसी सदस्य राजेश वैध, युवा कांग्रेस प्रधान मनिंद्र शंटी, महिला प्रधान उषा तुली, कृष्ण बसताड़ा, नाहर संधु, एडवोकेट नपिंद्र मान, सतपाल जाणी, अमरजीत धीमान, धर्मपाल कौशिक, रानी कांबोज, सुषमा नागपाल, अविनाश कौर, पूर्व पार्षद सुखबीर सिंह, पूर्व पार्षद ठाकुर दास, पूर्व पार्षद हरद्वारी लाल, दिनेश सैन, सुरेंद्र कालखां, रोहित जोशी, सुरजीत सैनी, टिंकू वर्मा, जागीर सैनी, सेवादल से अनिल शर्मा पृथ्वी भाट, सोनी कुटेल, सराज चौधरी, जोगा अघी, जरनैल सिंह, गगन मेहता, रामेश्वर वाल्मीकि, कालीचरण, दलबीर सिंह, डा. रामफल, मीनू दुआ व बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे।

दहशत में है मोदी सरकार

करनाल कांग्रेस के जिला प्रभारी लहरी सिंह, जिला संयोजक त्रिलोचन सिंह व रघबीर संधु ने कहा कि मोदी सरकार दहशत में है। लोकतंत्र की हत्या कर अपने खिलाफ उठने वाली आवाज को दबाना चाहती है। सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है।

मोदी सरकार ने संविधान में कई ऐसे संशोधन कर दिए, जिससे देश जाति और धर्म के आधार बंट जाएगा। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी हुकूमत से देश को आजाद करवाने के लिए वीर जवानों ने पोस्टर लगाकर ही देश की जनता को अपने साथ जोड़ा था। अब मोदी राज से देश को आजाद करवाने के लिए कांग्रेस ने यह अभियान शुरू किया है। मनिंद्र शंटी, राजेश वैध, कृष्ण बसताड़ा व नाहर सिंह संधु ने कहा कि मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करके ही देश को बचाया जा सकता है। इस तानाशाही सरकार के खिलाफ एकजुट होना जरूरी है।

करनाल में पत्रकारों पर लाठी डंडों से हमला

करनाल (आज़ाद शर्मा) करनाल के एनडीआरआई में राष्ट्रीय पशु मेले की कवरेज करने गए पत्रकारों पर 8-10 युवकों ने हमला कर दिया। लाठी डंडों से लैस हमलावरों ने पत्रकार कमल मिड्डा, हिमांशु नारंग, और मुकुल सतीजा के साथ जमकर मारपीट करते हुए उनके मोबाइल तक छीन लिए।

हैरानगी की बात रही कि हमले की सूचना पाकर मौके पर पुहंचे डॉयल 112 में तैनात पुलिस कर्मियों के साथ भी मारपीट की गई। पुलिस टीम ने इस पूरे प्रकरण की वीडियो भी रिकॉर्ड की। पत्रकारों ने मेडिकल करवाने के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में 323, 379, 34, 506 धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली। जाँच उपरांत इस मामले में 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जहां सभी को जमानत मिल गई।

करनाल की कई सामाजिक संस्थाओं और राजीनीति से जुड़े कई नेताओं ने पत्रकारों पर इस तरह के हमले की कड़ी निंदा की।

इस घटना पर पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी कर बताया कि करनाल में स्थित एनडीआरआई में करनाल के पत्रकारों के साथ मारपीट से संबंधित मामले में थाना सिविल लाइन की टीम द्वारा पांच आरोपियों 1. राम सिंह पुत्र तेलूराम 2. नवदीप पुत्र राम सिंह 3. आशीष पुत्र सुमेर सिंह 4. अश्वनी पुत्र सुभाष चंद्र व 5. रणदीप पुत्र राम सिंह वासियान तरावडी जिला करनाल

को थाना सिविल लाइन के एरिया से गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से प्रारंभिक पूछताछ में जांच में खुलासा हुआ कि उक्त पत्रकार पशुओं की कवरेज करने के लिए एनडीआरआई के मेले में गए थे। जब आरोपियों ने अपने पशुओं की फोटो खींचने व कवरेज करने से पत्रकारों को मना किया तो इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में आपस में बहस हो गई। जिसके कारण आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया था।

इस वारदात के संबंध में शिकायतकर्ता पत्रकार हिमांशु नारंग, मुकुल कुमार व कमल मिड्डा ने दिनांक 9 अप्रैल 2023 को थाना सिविल लाइन में शिकायत दी थी। शिकायत में उन्होंने बताया कि दिनांक 9 अप्रैल को वह करनाल में स्थित एनडीआरआई में लगे हुए पशु मेले में कवरेज करने गए थे। उसी दौरान मेले में मौजूद कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने उनके ऊपर हमला कर दिया और लाठी-डंडों के साथ मारपीट की और उनका मोबाइल फोन ले कर चले गए। इस संबंध में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ थाना सिविल लाइन में मुकदमा नंबर 556 दिनांक 9 अप्रैल 2023 धारा 323, 506, 379, 34 आईपीसी के तहत दर्ज किया गया। आरोपियों को आज माननीय अदालत में पेश किया गया। जहां से माननीय अदालत ने आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया है। इस मामले में संलिप्त अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। जिनको जल्द गिरफ्तार कर माननीय अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा।